न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार।

परिवाद सख्याः— 620 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः— 4796 / 2026

C.N.R. No.- UKHA02-006759-2026

मदन लाल सक्सेना बनाम अजय गुप्ता।

दिनांकः 22.07.2026—

पुकार पर पत्रावली पेश हुई। परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी के बिन्दु पर सुना गया।

2. संक्षेप में परिवादी का कथन है कि, परिवादी ने अपनी आबादी भूमि खाता संख्या 2951 खसरा संख्या 1572 रकबा 148.69 वर्गमीटर का विक्रय पत्र अभियुक्त के पक्ष में दिनांक 11.07.2024 को निष्पादित किया। अभियुक्त द्वारा परिवादी को रजिस्ट्री के समय मु0 13,00,000 / —रुपये के चैक संख्या 162151, मु0 4,00,000 / —रुपये दिनांकित 04.04.2026, चैक संख्या 162150, मु0 4,50,000 / —रुपये दिनांकित 06.04.2026 एवं चैक संख्या 162149, मु0 4,50,000 / —रुपये दिनांकित 06.04.2026 इस आश्वासन के साथ दिया कि चैक बैंक में प्रस्तुत करने पर आपको भुगतान प्राप्त हो जायेगा। परिवादी ने अभियुक्त द्वारा दिये उपरोक्त चैक संख्या 162150 को अपनी रकम समाशोधन के माध्यम से प्राप्त करने के लिये अपने बैंक में प्रस्तुत किया जो अभियुक्त के बैंक ने "Funds Insufficient" की टिप्पणी दिनांकित 07.04.2026 के साथ अनादृत कर परिवादी को बिना भुगतान वापस कर दिया। उक्त संदर्भ में परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक मांग नोटिस दिनांक 02.05.2026 को अभियुक्त के सही पते पर भारतीय डाक विभाग के माध्यम से रजिस्टर्ड / स्पीड डाक से प्रेषित करवाया, जो विपक्षी ने ''लेने से इंकार किया, प्रेषक को वापिस'' की टिप्पणी के साथ प्रेषित कर दिया, जो परिवादी अधिवक्ता को दिनांक 05.05.2026 को प्राप्त हुआ। इस प्रकार नोटिस की जानकारी होने के पश्चात् भी विपक्षी ने आज तक परिवादी को चैक में वर्णित धनराशि का भुगतान नहीं किया।

3. तलबी के बिन्दु पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

4. परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के कथनों के समर्थन में असल चैक, डिसऑनर स्लिप, मांगपत्र नोटिस, रजिस्टर्ड रसीद, लिफाफा को प्रस्तुत किया गया है।

5. समस्त दस्तावेजी प्रपत्रों के अवलोकन से तथा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया कार्यवाही का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

6. अभियुक्त **अजय गुप्ता पुत्र मुरारीलाल गुप्ता,** को धारा 138 एन0आई0एक्ट के अपराध के विचारण हेतु जरिए समन न्यायालय में तलब किया जाता है। परिवादी धारा 227 बीएनएसएस के अनुसार गवाहान सूची तथा आवश्यक पैरवी एक सप्ताह के अंदर दाखिल करना सुनिश्चित करें। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **Indian Bank Association and others Vs. Union of India and others (2014) 5 SSC 590** नामक वाद में दिये गये निर्देशों के आधार पर परिवादी को यह आदेशित किया जाता है कि वह परिवाद पत्र की प्रति और धारा 223 बीएनएसएस के तहत प्रस्तुत किये गये परिवादी के साक्षियों का शपथ पत्र की प्रति भी आदेशिका शुल्क (तलवाना) के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे। यदि परिवादी द्वारा इस प्रक्रिया के बाद यदि किसी गवाह को प्रस्तुत करना हो तो उसे उक्त संदर्भित मार्गदर्शक विनिश्चय के कारण धारा 145 उपधारा (2) परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत न्यायालय की अनुमति लेनी होगी।

7. पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्त एवं धारा 274 बी0एन0एस0एस0 के प्रावधान अनुसार अभियोग का सारांश बताये जाने हेतु दिनांक 01.09.2026 को पेश हो। यदि अभियुक्त नियत तिथि के पूर्व उपस्थित होता है तो उसका पक्ष मामले की शमनीयता के सम्बन्ध में जाना जायेगा तथा अभियोग सारांश भी लिखित किया जायेगा।

दिनांकः 22.07.2026

(अविनाश कुमार श्रीवास्तव)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

हरिद्वार।